न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न0 **327 बी/2021**

प्राथी :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :-. 1. हनीफा,नसीरा, समा पि. जला, रहमानखां, कालूखां,
मिसरेखां, फतेंखां, छोटू खां, गफूरखां पि. बचुखां,
सरीफो पत्नी बचू खां, गनी खा शेरूखा पि. सुभान
निमाजी बेवा सुभान बरगत, मीरखां, वली तमाची पि सदीक आसानीखां वगै0

उपस्थित :- पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक :- 28.2.2022

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम **गंगापुरा** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) **पटोदी सडक से ग्राम पंचायत गंगापुरा** ग्रेवल से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम **गंगापुरा** में एक ग्रेवल सड़क/डामर सड़क /बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से ग्राम **गंगापुरा** के खसरा नं. 2218, 2393/2223, 2228 भूमि में उक्त ग्रेवल रास्ता चल रहा है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित विवरण अनुसार **पटोदी सडक से ग्राम पंचायत गंगापुरा** ग्रेवल सडक रास्ता दर्ज करने का **गंगापुरा** निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन कि[illegible] प्रकरण राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज-6/2003[illegible] राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे च[illegible] सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित [illegible] है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:59:10 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी वगैरहा तहसीलदार पचपदरा के द्वारा सूचित किये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है। बाद विवेचन तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम **गंगापुरा** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) **पटोदी सडक से ग्राम पंचायत गंगापुरा** ग्रेवल सडक से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम **गंगापुरा** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो **पटोदी सडक से ग्राम पंचायत गंगापुरा** ग्रेवल सडक जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को संबंधित काश्तकारन की सहति अनुसार रास्ते के लिए जोड़ने हेतु स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर ग्राम ग्राम **गंगापुरा** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो **पटोदी सडक से ग्राम पंचायत गंगापुरा** ग्रेवल सडक से ग्राम **गंगापुरा** के खसरा नं. 2218, 2393/2223, 2228 भूमि में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग प्रभावित प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय में को सुनाया गया ।

भू–अभिलेख अधिकारी,
(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:59:10 IST
Reason: SelfAttested